

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 465

/2022/रायगढ़, दिनांक 27/01/2022

प्रति,

संशोधित पत्र

अधीक्षण अभियंता,
अ.उ.दा. (नि एव सं.) वृत्त,
छ.रा.वि.पारे. कं.मर्या. बिलासपुर

विषय :- Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC Ltd. area-9.589 ha.- regarding.

पंजीयन क्रमांक— FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.—एफ.सी.—2/आई.आर.ओ.सी.एच.—07/2021/403 दिनांक 07.12.2021
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479—176/8046 रायपुर दिनांक 16.12.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.नं.—एफ.सी.—2/आई.आर.ओ.सी.एच.—07/2021/403 दिनांक 07.12.2021 द्वारा **CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s. NTPC Ltd.** हेतु प्रभावित कुल 9.589 हे. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxv) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें।

- 1) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर अप्रैल 2021 में देय दर अनुसार लागत राशि रुपये प्रति हेक्टेयर 7,98,897/- की दर से दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 19.178 हे. का राशि रुपये 1,53,22,046/- (रुपये एक करोड़ तिरिपन लाख बाईस हजार छियालीस) मात्र जमा करें।
- 2) समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5—3/2007—FC दिनांक 05.02.2009 तथा भारत सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.नं. 5—3/2011—एफ.सी.(व्ही.ओ.एल.—1) दिनांक 19 जनवरी 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 9.589 हे. मे से सघन वन रकबा 2.190 हे. के लिए इको वेल्यु क्लास—III सघन वन प्रति हे. 803000.00 अनुसार राशि रुपये 17,58,570/- (रुपये सत्रह लाख अन्ठावन हजार पांच सौ सत्तर) मात्र एवं की खुला वन भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास—III खुला वन रकबा 7.399 हे के लिए प्रति हे. 6,26,000/- अनुसार राशि रुपये 46,31,774/-

(रुपये छियालीस लाख इक्तीस हजार सात सौ चौहत्तर रुपये) मात्र कुल राशि रुपये 63,90,344/- (रुपये तिरिसठ लाख नब्बे हजार तीन सौ चौवालीस) मात्र जमा करें।

- 3) अधिरोपित शर्त क्रमांक XX (D) के पालन में टावर लाईन के नीचे बौने प्रजाति के सिंचित औषधि वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन अनुसार रकबा 3.551 हे. के लिए राशि रु. 28,36,683/- (रुपये अठाईस लाख छत्तीस हजार छः सौ तिरासी) मात्र जमा करें।

बिन्दु क्रमांक 01, 02 एवं 03 की राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 466

/2022/रायगढ़, दिनांक - 27/01/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनाथ संप्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़